MR. DEPUTY CHAIRMAN: I accept that. ...(*Interruptions*)... I said that it is a collective responsibility, it can be done. I have already made it clear. Please sit down.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Will you certify what the hon. Minister, Shri Venkaiah has said that we are giving our running commentary through the issues raised by the hon. Members? He can't say that we are giving running commentary to accuse the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the record, and if there is anything to be expunged, I will do it. ...(*Interruptions*)... Shri Naresh Agrawal. I would request Members; let us proceed with Zero Hour submissions. There are 13 notices.

Surcharge on digital payments after demonetisation

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभापति जी, इस सरकार ने नोटबंदी और डिजिटल इंडिया के निर्णय लिए। यह ठीक है कि आप नोटबंदी पर जनता को फुसलाने में सफल हो गए। मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन इन्होंने डिजिटल इंडिया के बारे में दो-तीन घोषणाएं कीं। उनमें एक यह कि जो पेट्रोल पम्प पर कार्ड से पेमेंट करेगा, उस पर फ्युअल सरचार्ज नहीं लगेगा। इन्होंने कहा कि फ्युअल सरचार्ज कंपनीज बियर करेंगी, लेकिन जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किया, उन पर दो परसेंट सरचार्ज लग गया। यहां तक कि बैंकों ने यह ऑर्डर दे दिया कि अगर महीने में तीन से पांच बार निकासी करोगे तो 50 से 150 रुपए चार्ज लगेगा। सर, कभी बैंकों ने सरचार्ज नहीं लिया क्योंकि इस देश में विदेशों जैसा ट्रेडीशन नहीं रहा। सरकार ने बैंकों को एडवाइस भी दी, लेकिन उसे बैंकों ने उसे नहीं माना। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार की यह एडवाइस किस तरह की थी?

सर, मैं कहूंगा कि Paytm के मालिक को सरकार का वरद हस्त प्राप्त था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। श्रीमन्, 2010 से 2017 तक कैपिटल वैल्यू 3 बिलियन थी। उसने सोचा था कि हम 2017 तक इसे 5 बिलियन करेंगे, लेकिन 4 महीने पहले ही उसकी यह वैल्यू 5 बिलियन हो गयी। उसे इतना पेमेंट किस ने किया? उसे क्यों बढ़ाया गया? चाइना की इस कंपनी को हिन्दुस्तान में सरकार की शह पर एक व्यक्ति को उसकी एजेंसी दिलाकर यहां Paytm को लागू कर के सरकार ने करोड़ों रुपया उसे दिलवाया।

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आप देश में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप इस देश में गरीबों द्वारा कार्ड से पेमेंट किए जाने को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो फिर सरचार्ज, फ्युअल चार्ज और Paytm का चार्ज, बैंकों का चार्ज वगैरह लगाते जाएंगे, तो यह तो एक तरह से सरकार के कमाने का और लोगों के कमाने का धंधा हो गया। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नीति क्या है? श्रीमन्, जनता में इस बारे में भ्रम है। श्रीमन्, लोगों का पैसा कट रहा है, उन्हें फ्युअल कंपनी पैसा नहीं दे रही है, लोगों की जेब से पैसा जा रहा है। इस तरह से तो आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम फेल हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है और उस की नीति क्या है?

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरेंद्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member, Shri Naresh Agrawal. Sir, this month, only yesterday I got a notice from the State Bank of India, Parliament House deducting ₹ 144 as charges for use of the ATM card. This is happening without any announcement whether you use it or not. But I have not used it, yet, they have deducted ₹ 144. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री उपसभापतिः श्री मो. नदीमुल हक़।

श्री नरेश अग्रवालः सर, सरकार से जवाब दिलवा दीजिए।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, माननीय सदस्य ने डिजिटल इंडिया के बारे में सवाल उठाया है। मैं माननीय सदस्य को पहली बात यह बताना चाहूंगा "डिजिटल इंडिया डेवलप इंडिया", यह विकसित भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। दूसरी चीज ...**(व्यवधान)**... इन्होंने एक कंपनी के बारे में कहा कि सरकार उस कंपनी को प्रोत्साहित कर रही है। मैं उसे बिल्कुल गलत मानता हूं और मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के बारे में अगर वे नोटिस देंगे, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Md. Nadimul Haque.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन, माननीय सदस्य ने बिल्कुल स्पष्ट मामला उठाया है कि उन्होंने कहीं ATM का यूज़ नहीं किया है और ...**(व्यवधान)**.... इसका क्या जवाब है?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप एक नोटिस दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is noted here.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः हम डिस्कशन कर लेंगे, डिजिटल इंडिया पर ...**(व्यवधान)**.... हम हर सवाल का जवाब देंगे, आप नोटिस दे दीजिए। We are ready for discusson.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. But, the personal complaint of Yechuryji may be conveyed to the hon. Finance Minister.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Okay.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Md. Nadimul Haque.

Need to regulate the medical healthcare in private hospitals

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, in the absence of doctors and dissatisfaction with quality standards at State-run public hospitals, an increasing proportion of people are using private healthcare facilities though they are more expensive. In 2014, the average cost of hospital care by a public utility was ₹ 6,120/- while private institutions were four times more costly at ₹ 25,850/-. Sir, in the last decade, while the cost of treatment has more or less doubled, insurance cover is still less than 50 per cent. However, recent cases in multi-speciality hospitals across the country show a dismal State of private healthcare. Private hospitals lack transparency, often resulting in an increase in medical negligence, amounting to severe injuries, and even, death. A case in point is that of Sanjay Roy, a Dankuni resident, at a world famous private hospital in Kolkata. He sadly died due to alleged medical negligence.

Sir, here I want all hon. Members to listen, and listen with feelings because, only then, you will understand what pains his family had to go through.

The point that I want to highlight is that hospital authorities refused to release his dead body unless the hospital dues were cleared. His family had to keep their fixed deposit certificates as a security, only then, his body was released. Sir, the West Bengal Government has passed an Act which seeks to bring more transparency in the healthcare, ending harassment of patients and checking medical negligence in private hospitals and nursing homes. Private hospitals will now have to pay compensation in cases of medical negligence with fine as high as ₹ 10 lakh or more. Sir, similarly, there ought to be a Central law regulating private hospitals in terms of over-pricing of medical treatment, cancellation of licences and payment of compensations in cases of medical negligence.

Finally, what we all need to understand is that healthcare service is not a commercial proposition. It is a service which should be delivered with humility and a human touch. I end with a Urdu couplet, Sir.

"ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है,
जहां कातिल ही खुद पूछे कि हवा क्या है?"